क्रम-संख्या–197

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–4, खण्ड (ख)**

(परिनियम आदेश)

**लखनऊ, बुधवार, 10 दिसम्बर, 2025**

अग्रहायण 19, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

**परिवहन अनुभाग–4**

———

संख्या 23/2025/1256/तीस-4–2025-113/89टीसी

लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2025

———

अधिसूचना

**प0आ0–213**

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 55 के उप नियम (8) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–2104/तीस–4–08–113/89, दिनांक 29 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, शीर्षक 'राज्य परिवहन प्राधिकरण' के अधीन क्रम संख्या-1 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात :–

''1– परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश– अध्यक्ष''

आज्ञा से,

के0 पी0 सिंह,

विशेष सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.23/2025/1256/XXX-4-2025-113/89TC, dated December 10, 2025.

No. 23/2025/1256/XXX-4–2025-113/89TC
*Dated Lucknow, December* 10, 2025

IN exercise of the powers under sub-sections (1) and (2) of Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) *read* with sub-rule (8) of rule 55 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 and Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 2104/XXX-4-08-113/89, dated January 29, 2009 as amended from time to time:–

AMENDMENT

In the aforesaid notification, under the heading "State Transport Authority" *for* the existing entry at serial no. 1, the following entry shall be *substituted*, namely:-

"1.Transport Commissioner, Uttar Pradesh–Chairman"

By order,
K. P. SINGH,
*Vishesh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 278 राजपत्र–2025–(815)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 9 सा0 परिवहन–2025–(816)–100 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।